Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

// आदेश //

रायपुर, दिनाँक 06 / 06 / 2016

क्रमांक 3452 / 588 / R-1122 / स्था / वि–3 / ग्रा.यां.से. / 2013 :: W.P.(S) No. 3000 / 2013 में पारित आदेश दिनाँक 30.09.2015 में W.P.(S) No. 3096 / 2013 एवं अन्य संबद्ध W.P.(S) No. 55 / 2014 तथा अन्य में दायर अपील पर पारित निर्णय दिनाँक 04.04.2014 अनुसार श्री प्रवीण कुमार ठाकुर को नसबंदी प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकतम् आयु सीमा में छूट दिये जाने के निर्देश है।

2 / अतः माननीय न्यायालय के उक्त निर्देश एवं चयन समिति की बैठक दिनाँक 03.05.2016 की अनुशंसा अनुसार **श्री प्रवीण कुमार ठाकुर पिता श्री चंद्र प्रकाश ठाकुर, शांति विहार कालोनी, शीतला मंदिर के पास डंगनिया, रायपुर (छ.ग.), जाति सामान्य** को अधिकतम् आयु सीमा में नसबंदी प्रमाण पत्र के आधार पर दो वर्ष का छूट प्रदान करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत् ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में उपअभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रुपये 9300–34800 + ग्रेड वेतन 4200 के न्यूनतम् वेतन पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर प्रावधिक रूप से नियुक्त किया जाकर **जनपद पंचायत, मुंगेली, जिला मुंगेली** में पदस्थ किया जाता है।

3 / **नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार है :–**

(1) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा अस्थाई तथा अर्द्धस्थायी सेवा नियम 1960 के नियम–12 के अनुसार उम्मीद्वार की सेवाएं किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की लिखित सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन व भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी।

(2) उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों पर देय रकम संबंधित से भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

(3) परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमानुसार परिवीक्षा समाप्त होने की दिनांक से नियमित नियुक्ति मानी जावेगी। सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है ।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम एवं रोस्टर का पालन किया गया है।

निरंतर....2...

16/6/16
14 JUN 2016

(5) उम्मीदवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र उपस्थिति दिनांक के 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । वेतन का पहली बार आहरण स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जावेगा।

(6) उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचंरण नियम 1965 के नियम '19' के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(7) नियुक्ति स्थान पर पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(8) उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 30 दिनों के अंदर अपने नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान में कार्यालयीन समय/दिवस पर संबंधित अधिकारी को उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा यह मानकर कि वे इस पद पर नहीं आना चाहते हैं, उनकी नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जावेगा। नियुक्ति आदेश छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट (http://cgstate.gov.in) एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पोर्टल (http://cg.nic.in/resworks) से डाऊनलोड कर पदस्थापना कार्यालय में निर्धारित अवधि के अंदर उपस्थित देवें ।

(9) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–4/2006/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनाँक 29 जून, 2013 की कंडिका–6(2) अनुसार आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय निर्धारित प्रारूप (एक) में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के वेबसाईट (http://cg.nic.in/resworks) में उपलब्ध है।

(10) पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करेंगे। संबंधित कार्यालय प्रमुख सभी दस्तावेजों का सत्यापन कर उपस्थिति स्वीकार करने की की सूचना लिखित में 07 दिनों के भीतर इस कार्यालय को देंगे ।

(11) दस्तावेजों के सत्यापन में कोई भी तथ्य/जानकारी गलत/नियमों के विपरीत तथ्य पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(12) आरक्षित प्रवर्ग – (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी /प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित अधिकारी का बिना किसी पूर्व सूचना दिये सेवा से पृथक किया जावेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही भी की जा सकेगी।

निरंतर....3...

(13) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 980/सी–761/वि/नि./चार/4, दिनांक 27.02.2004 के अनुसार नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए नयी परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगी।

(14) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं भी उक्त पद एवं वेतनमान पर पदस्थ/स्थानांतरण किया जा सकता है, इसके विरूद्ध कोई अभ्यावेदन या याचिका स्वीकार्य नहीं की जावेगी।

(15) यह नियुक्ति प्रावधिक है । माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों में निर्णय होने के पश्चात् अंतिम प्रावीण्य सूची जारी की जावेगी । उसके पश्चात् ही दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि प्रारंभ होगी ।

(16) अभ्यर्थियों को प्रावधिक वरिष्ठता उपरोक्त क्रम में रखी गई है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त करने के पश्चात् अंतिम वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी।

(17) उक्त नियुक्ति रिट पीटीशन (सी) क्रमांक 591/2012 में माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

(विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

6/6/2016

(डी.एस.परगनिहा)
मुख्य अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्र. 3453/588/R-1122/स्था/वि–3/ग्रा.यां.से./13 रायपुर, दि. 6/06/2016

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसंगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. संभागीय आयुक्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
5. कलेक्टर, जिला मुंगेली (छ.ग.)।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुंगेली (छ.ग.)।

निरंतर....4...

7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स **(CHiPS),** आरडीए बिल्डिंग द्वितीय तल, शास्त्री चौक, जी.ई. रोड रायपुर, छत्तीसगढ़ को उक्त आदेश की प्रति शासकीय पोर्टल में उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
8. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र **(NIC)** रायपुर छत्तीसगढ़ को उक्त आदेश की प्रति एवं संलग्न शपथ पत्र प्रारूप (एक) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के पोर्टल में उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
9. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बिलासपुर मण्डल, बिलासपुर।
10. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मुंगेली संभाग, मुंगेली।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुंगेली, जिला मुंगेली (छ.ग.)।
12. संबंधित श्री प्रवीण कुमार ठाकुर पिता श्री चंद्र प्रकाश ठाकुर, शांति विहार कालोनी, शीतला मंदिर के पास डंगनिया, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

6/6/2016

मुख्य अभियंता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़, रायपुर